

फर्द-अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या- 10/2025

अंतर्गत धारा:- 212 P.A.

बनाम..... श्री. लाला बारी

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

तारीख हुक्म

31/2/2025

वकील श्री उपस्थित हैं। श्री स्वयं भी उपस्थित हैं। वकील
 श्री द्वारा शर्पना पत्र वास्ते शर्पना पत्र धारा 212 P.A.
 तलब किये जाने बाबत पेश किया। वकील श्री तथा श्री
 स्वयं को सुना गया। वकील श्री तथा श्री द्वारा निवेदन
 किया गया कि श्री तथा अश्री गणों के मध्य आपसी समझौते
 से राजीनामा होगा है। हम शर्पना पत्र पर अग्रे कार्यवाही
 नहीं चाहते हैं। अतः शर्पना पत्र धारा 212 P.A. तलब किये
 जाएँ। श्री अधिकार का उक्त शर्पना पत्र वास्ते तलब
 पत्रावली कीकार होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। वकील
 श्री तथा श्री श्री अनेवरलाल पुत्र श्रीता द्वारा पत्रावली
 ने कि निवेदन किया गया कि उक्त राजीनामा में / समझौते में
 श्री तथा अश्री गणों के मध्य समझौता / राजीनामा है। गया
 है। अतः हम पत्रावली पर अग्रे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
 अतः पत्रावली पर कार्यवाही समाप्त की जाएँ। अतः बाबत
 वकील श्री तथा श्री स्वयं द्वारा पत्रावली आदेशिका पर
 टिप्पणी दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अग्रे कोई
 कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वकील श्री
 तथा श्री स्वयं के मौखिक कथन, शर्पना पत्र
 कि तलब पत्रावली आदेशिका पर दर्ज टिप्पणी के

21/2/2025
 श्री. लाला बारी
 अंतर्गत धारा:- 212 P.A.
 बनाम..... श्री. लाला बारी

✓ लाला बारी

उपखण्ड अधिकारी
 मिनाय (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या- 10 / 2025

भंवरलाल बनाम सीता वर्मा

अन्तर्गत धारा:- 212-P.V.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज	
	<p>श्रीकांठर श्री जकर पगवली पर कार्यवाही इसी हतर पर समाप्त की जाती है। पगवली जिला सुमार है। नम्बर के इस हंकर देखिल हफतर है।</p> <p style="text-align: center;">SPO. B. N. N. N. उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)</p>	